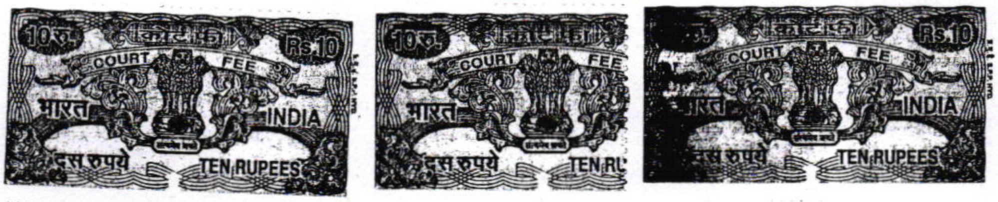

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल
ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी-3848/2018/देवास/भू.रा.

प्र.क्रं. .... / 2018

1. इंदरसिंह पिता गोरधनसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपुत धंधा खेती निवासी ग्राम लकुमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
2. कमलसिंह पिता गोरधनसिंह उम्र 35 वर्ष जाति राजपुत धंधा खेती निवासी ग्राम लकुमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
3. रेशमबाई विधवा गोरधनसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपुत धंधा खेती निवासी ग्राम लकुमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.... निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

लालसिंह पिता देवीसिंह उम्र 95 वर्ष जाति राजपुत धंधा खेती निवासी ग्राम लकुमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

............गैर निगरानीकर्तागण

<u>निगरानी आधिन धारा 50 भू.रा.स. के तहत् पत्र क्रमांक क्यू./रा.नि./2018 दिनांक 21.04.2018 को हुवें सीमांकन के विरुद्ध</u> 10.5.18

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी मैमो नकल के दिन मुजरा करके सीमांकन पंचनामा सुचना पत्र रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सहित निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

कमलसिंह इन्दरसिंह निरंतर......

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3848/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा ग्राम लकुमड़ी स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 478 रकवा 0.64 हे., 483 रकवा 0.64 हे. एवं 487 रकवा 0.85 हे. भूमि के सीमांकन हेतु नायब तहसीलदार सोनकच्छ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी संबंधित कृषकों को विधिवत सूचना-पत्र जारी करते हुए एवं पंचनामा तैयार कर हल्का पटवारी एवं हितबद्ध कृषकों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	